


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती शर्मिला गौड, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालेरी आहिचा जिला जोधपुर को कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/शर्मिला गौड/2018 दिनांक 30.01.2020 द्वारा दिनांक 24.02.2020 से 08.05.2020 (75 दिवस) तक ह्यूस्टन (अमेरिका) विदेश जाने की अनुमति जारी की गई थी।

कोरोना महामारी के चलते हवाई सेवा बन्द होने के कारण श्रीमती शर्मिला गौड को इनकी स्वयं की प्रार्थना पर इनकी विदेश अनुमति 03.06.2020 तक बढ़ाई जाती है। शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 30.01.2020 के अनुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/शर्मिला गौड/2018

दिनांक : 05.05.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति मंडोर जिला जोधपुर
5. एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालेरी आहिचा जिला जोधपुर
7. श्रीमती शर्मिला गौड, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालेरी आहिचा जिला जोधपुर


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर